भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-3628
सोमवार, 15 जुलाई, 2019/24 आषाढ़, 1941 (शक)

रोजगार/बेरोजगारी की विकास दर

3628. श्रीमती रीती पाठकः
श्री जुगल किशोर शर्माः

क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) विगत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष एवं चालू वर्ष के दौरान सरकारी एवं निजी क्षेत्र दोनों में रोजगार और बेरोजगारी की राज्य-वार विकास दर क्या रही है;
(ख) उक्त अवधि के दौरान रोजगार विकास के संबंध में निर्धारित लक्ष्य एवं हासिल उपलब्धियों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;
(ग) रोजगार विकास दर में कमी, यदि हो, तो इसके क्या कारण हैं; और
(घ) देश में, विशेषरूप से आरक्षित वर्गों में, रोजगार विकास में सुधार करने हेतु तथा बेरोजगारी को रोकने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उपाय किए गए हैं?

उत्तर
श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री संतोष कुमार गंगवार)

(क) से (घ): राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ), सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा 2017-18 के दौरान आयोजित किए गए आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) तथा श्रम ब्यूरो, श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा आयोजित किए गए रोजगार-बेरोजगारी संबंधी वार्षिक सर्वेक्षण के परिणामों के अनुसार, 15 वर्ष एवं उससे अधिक आयु के व्यक्तियों की सामान्य स्थिति (प्रमुख स्थिति+सहायक स्थिति) आधार पर उपलब्ध सीमा तक अनुमानित कामगार जनसंख्या अनुपात अनुबंध में दिया गया है।

नियोजनीयता में सुधार करते हुए रोजगार का सृजन करना सरकार की प्राथमिकता रही है। सरकार ने विशेषकर आरक्षित श्रेणियों हेतु देश में रोजगार का सृजन करने के लिए अर्थव्यवस्था के निजी क्षेत्र को प्रोत्साहन देने, पर्याप्त निवेश वाली विभिन्न परियोजनाओं को गति प्रदान करने और प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी), महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एमजीएनआरईजीएस), पं. दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (डीडीयू-जीकेवाई) तथा दीनदयाल अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (डीएवाई-एनयूएलएम) जैसी योजनाओं पर सार्वजनिक व्यय में वृद्धि करने जैसे विभिन्न कदम उठाए हैं।

श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा रोजगार सृजन को बढ़ावा देने हेतु नियोक्ताओं को प्रोत्साहित करने के लिए प्रधान मंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना (पीएमआरपीवाई) आरंभ की गई है। इस योजना के तहत, सरकार, सभी क्षेत्रों के समस्त पात्र नए कर्मचारियों हेतु ईपीएफ एवं ईपीएस के लिए 3 वर्षों हेतु नियोक्ता के संपूर्ण अंशदान (12% अथवा यथा-स्वीकार्य) का भुगतान कर रही है। इस योजना का दोहरा लाभ है, जहां एक ओर, नियोक्ताओं को प्रतिष्ठान में कामगारों के रोजगार आधार को बढ़ाने हेतु प्रोत्साहित किया जाता है, वहीं दूसरी ओर, इन कामगारों की संगठित क्षेत्र के सामाजिक सुरक्षा लाभों तक पहुंच होगी। इस योजना का उद्देश्य बड़ी संख्या में अनौपचारिक कामगारों को औपचारिक कार्यबल में शामिल करना है।

सरकार ने स्व-रोजगार को सुकर बनाने के लिए, अन्य बातों के साथ-साथ, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) आरंभ की है। पीएमएमवाई के अंतर्गत सूक्ष्म/लघु व्यापरिक उद्यमों तथा व्यक्तियों को अपने व्यापारिक कार्यकलापों को स्थापित करने अथवा विस्तार करने में समर्थ बनाने के लिए 10 लाख रुपए तक का गैर-जमानती ऋण प्रदान किया जाता है। 31 मार्च, 2019 तक, योजना के तहत 18.26 करोड़ ऋण संस्वीकृत किए गए थे।

सरकार ने राष्ट्रीय करियर सेवा (एनसीएस) परियोजना को कार्यान्वित किया है, जिसमें एक ऐसा डिजिटल पोर्टल शामिल है जो गतिशील, दक्ष एवं सकारात्मक ढंग से योग्यता अनुरूप रोजगार हेतु रोजगार चाहने वालों एवं नियोक्ताओं के लिए एक राष्ट्र-व्यापी ऑनलाइन मंच प्रदान करता है तथा इसमें रोजगार चाहने वालों के लिए आजीविका संबंधी विषय-वस्तु का भंडार है।

स्टार्ट-अप इंडिया भारत सरकार की एक फ्लैगशीप पहल है। यह एक मजबूत इकोसिस्टम का निर्माण करना चाहती है जो स्टार्ट-अप व्यापारों को संवर्द्धित करने, धारणीय आर्थिक विकास को प्रेरित करने तथा बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर को सृजित करने में सहायक है।

इन पहलों के अतिरिक्त, मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्वच्छ भारत मिशन, स्मार्ट सिटी मिशन, जीर्णोद्धार एवं शहरी रूपांतरण हेतु अटल मिशन, सभी के लिए आवास, अवसंरचना विकास तथा औद्योगिक गलियारे जैसे सरकार के फ्लैगशीप कार्यक्रमों में उत्पादक रोजगार के अवसर सृजित करने की संभावना है। युवाओं की नियोजनीयता में सुधार करने तथा नियोजन की सुविधा भी प्रदान करने के लिए मंत्रालय/विभाग/राज्य विभिन्न क्षेत्रों में कौशल विकास योजनाएं चलाते हैं। राष्ट्रीय शिक्षुता संवर्द्धन योजना (एनएपीएस) जैसी योजनाएं, जिनमें सरकार शिक्षुओं को देय वृत्तिका के 25 प्रतिशत की प्रतिपूर्ति करती है, भी रोजगार प्राप्त करवाने हेतु युवाओं की नियोजनीयता को बढ़ाती हैं।

अनुबंध

लोक सभा के दिनांक 15.07.2019 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3628 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

15 वर्ष एवं उससे अधिक आयु के व्यक्तियों हेतु सामान्य स्थिति (प्रमुख स्थिति+सहायक स्थिति) आधार पर प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार कामगार जनसंख्या अनुपात (डब्ल्यूपीआर) (प्रतिशत में)

(% में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य-क्षेत्र	पीएलएफएस*	श्रम ब्यूरो के सर्वेक्षण**	
		2017-18	2013-14	2015-16
1	आंध्र प्रदेश	57.2	64.8	61.6
2	अरुणाचल प्रदेश	42.3	63.4	62.1
3	असम	43.7	59.3	50.6
4	बिहार	35.5	48.0	48.4
5	छत्तीसगढ़	62.4	65.6	67.3
6	दिल्ली	42.7	40.2	40.8
7	गोवा	42.9	47.9	44.7
8	गुजरात	47.4	52.9	49.0
9	हरियाणा	41.7	45.5	44.7
10	हिमाचल प्रदेश	58.9	68.4	40.8
11	जम्मू और कश्मीर	51.0	43.3	36.7
12	झारखंड	41.7	64.8	65.2
13	कर्नाटक	49.1	56.8	55.5
14	केरल	41.2	48.0	45.2
15	मध्य प्रदेश	54.3	59.2	44.8
16	महाराष्ट्र	50.5	55.2	52.2
17	मणिपुर	42.5	61.2	59.9
18	मेघालय	62.3	68.7	62.8
19	मिजोरम	46.4	71.2	67.4
20	नागालैंड	32.8	49.8	63.5
21	ओडिशा	44.9	54.0	51.2
22	पंजाब	42.9	41.1	40.2
23	राजस्थान	48.2	54.5	53.7
24	सिक्किम	58.7	64.8	61.4
25	तमिलनाडु	51.0	58.3	56.3
26	तेलंगाना	49.8	65.1	56.6
27	त्रिपुरा	42.0	54.9	61.9
28	उत्तराखंड	40.6	46.9	44.6
29	उत्तर प्रदेश	41.8	48.1	43.7
30	पश्चिम बंगाल	47.8	48.7	50.7
31	अंडमान एवं निकोबार द्वीप	48.7	53.7	54.1
32	चंडीगढ़	46.9	39.7	37.1
33	दादर और नगर	66.3	42.1	45.4
34	दमन और दीव	63.2	43.2	50.1
35	लक्षद्वीप	34.4	42.8	34.6
36	पुडुचेरी	37.8	44.2	50.9
	अखिल भारत	46.8	53.7	50.5

(टिप्पणीः *पीएलएफएस एवं श्रम ब्यूरो सर्वेक्षण में सर्वेक्षण की कार्य-पद्धति तथा प्रतिदर्श का चयन अलग-अलग है)

स्रोत: वार्षिक रिपोर्ट, आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस), 2017-18, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय

**** श्रम ब्यूरो के रोजगार एवं बेरोजगारी सर्वेक्षण**